



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर, भोपाल म0प्र0

R - 3065 - PBR113

पुन0 प्रकरण क्रमांक-

/13

मोहन बाई पुत्री श्री झबूलाल पत्नि श्री तुलसीराम
निवासी-ग्राम अर्जनी (सुल्तानपुर), तहसील गौहरगंज
जिला-रायसेन म0प्र0

आवेदक

विरुद्ध

- आयुक्त कार्य
भोपाल से उत्त
Gmpf
1-8-13
1. श्रीमति लीलाबाई विधवा पूरनलाल
निवासी-ग्राम अर्जनी (सुल्तानपुर) तहसील-गौहरगंज
जिला-रायसेन
 2. नंदलाल आत्मज पूरनलाल
 3. भगवान सिंह आत्मज पूरनलाल
 4. प्रेमनारायण आत्मज पूरनलाल
 5. राम सिंह आत्मज पूरनलाल
 6. बसंती बाई पुत्री पूरनलाल
- सभी निवासी- ग्राम-अर्जनी, तहसील-गौहरगंज
जिला-रायसेन म0प्र0

श्री रमेश सक्सेन
अध्यक्ष
डाफ नं० 913/13
शुभ

3/8/13

अनावेदक
न्यायालय ग्वालियर
राजस्व मण्डल भोपाल
अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदिका विद्वान न्यायालय आयुक्त भोपाल के न्यायालय के अपील प्रकरण क्रं.
117/ए/10-11 में पारित आदेश दिनांक-8/1/2013 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों
एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है -

/// तथ्य ///

1. यह कि आवेदिका ने ग्राम ताड़ी, तहसील-गौहरगंज के काश्तकार श्री पूरनलाल आत्मज श्री धन्नालाल से उसकी कृषि भूमि खसरा नं. 6/1, रकबा 5.00 एकड़ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक-04/06/1992 द्वारा रुपये-25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) में कय की तथा कय करने की दिनांक से भूमि पर काबिज रहकर खेती करती आ रही है।

3-8-13

an

R 3065 PPR/13

मोहन वाई X लीला वाई

26/11/15

DD.

आवेदक व उनके अभिभाषक सूचना
उपरोक्त अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगायी
गयी। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक/अभिभाषक
की अनुपस्थिति में प्रकरण अदालत पैरवी में
स्कारिज किया जाता है।

जा

अध्यक्ष